## महत्वपूर्ण एवं खास

### आईटीआई में प्रवेश हेतु 11 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित

**सारंगढ़ बिलाईगढ़।** राज्य के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओ में प्रवेश सत्र 2024-25 एवं 2025-26 में संचालित व्यवसाय छमाही व्यवसाय डीसीएम, एक वर्षीय व्यवसाय कोपा, स्टेनो हिन्दी, वेल्डर और द्विवर्षीय व्यवसाय विद्युतकार, फिटर एवं एमएमव्ही आदि कोर्स में प्रवेश के लिए 11 अगस्त 2024 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र रजिस्ट्रेशन हेतु पोर्टल सीजी आईटीआई डॉट सीजी स्टेट डॉट जीओवी डॉट इन cgiti.cgstate.gov.in खुला है। प्रवेश हेतु नवीन रजिस्टर्ड आवेदन पत्रों एवं पूर्व में प्राप्त आवेदन पत्रों में से संयुक्त प्रावीण्य सूची के आधार पर चयन सूची जारी कर प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी। इन व्यवसायों में प्रवेश के इच्छुक युवाओं से नियत तिथि तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

### चिट फंड ठगी मामले में पुलिस को मिली सफलता, छह साल से फरार आरोपी गिरफ्तार

**बिलासपुर (आरएनएस)।** पुलिस को चिट फंड ठगी के प्रकरण में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश के भोपाल से बीते 6 वर्ष से फरार चल रहे इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी अरुण वर्मा के खिलाफ बिलासपुर जिले के अलग-अलग थाने में सात मामले दर्ज थे और एक मामला सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में भी दर्ज था। दरअसल आरोपी करियर ड्रीम एजुकेशन एकेडमी के नाम से चिट फंड कंपनी बनकर ठगी करता था और उसने सैकड़ों लोगों से करीबन 10 करोड रुपए की ठगी को अंजाम दिया था घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी 6 वर्षों से फरार था जिले के एसपी ने आरोपी की सूचना देने पर इनाम की घोषणा भी की थी। फरार आरोपी देश भर में अलग-अलग शहरों में रहकर पुलिस को गुमराह करता रहा वर्तमान में वह राजस्थान के अलवर में रह रहा था और अपने परिवार को भोपाल में छिपा कर रखा था। इसी दौरान पुलिस ने भोपाल में छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार किया और उसकी संपत्ति कुर्क कर आगे कार्रवाई में जुट गई है।

### बैगा परिवारों को 20 जोड़ी बैल नि:शुल्क वितरित, खेती का काम होगा आसान

**रायपुर (आरएनएस)।** बिलासपुर जिला प्रशासन और पशुधन विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत कोटा विकासखंड के ग्राम नागचुवा और धुमा के विशिष्ट पिछड़ी जनजाति बैगा परिवारों को नि:शुल्क 20 जोड़ी बैल प्रदान किया गया है। बैल मिल जाने से अत्यंत पिछड़ी जनजाति के इन बैगा परिवारों की खेती-किसानी की राह आसान होगी। पशुधन विकास विभाग द्वारा घुमंतु पशुओं को प्रशिक्षित कर कृषि कार्य के लिए ये 20 जोड़ी बैल दिए गए हैं। बैगा परिवारों को बैल जोड़ी सौंपने के दौरान ग्राम पंचायत नागचुवा की सरपंच ईश्वरी बाई खुसरो, धुमा के उप सरपंच संतोष बघेल, पशुधन विकास विभाग से संयुक्त संचालक डॉ. जी.एस. एस. तंवर और वरिष्ठ पशु चिकित्सा शल्यज्ञ डॉ. अनिमेष जायसवाल सहित विभागीय अधिकारी और ग्रामीण मौजूद थे।

### राशनकार्डधारी जुलाई माह का राशन 15 तक करें उठाव

**रायपुर (आरएनएस)।** सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत माह जुलाई 2024 में दुकानों में खाद्यान्न भंडारण समय पर नहीं होने के कारण कुछ हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण नहीं हो पाया है। इस संबंध में शासन को सूचना दी गई थी जिसके आधार पर शासन द्वारा खाद्यान्न वितरण की तिथि में वृद्धि करते हुए 15 अगस्त 2024 तक जुलाई 2024 के खाद्यान्न की वितरण की अनुमति प्रदान की गई है। खाद्य नियंत्रक के अनुसार ऐसे राशनकार्डधारी जिनके द्वारा माह जुलाई 2024 के खाद्यान्न का उठाव नहीं किया जा सका है वे 15 अगस्त तक शासकीय उचित मूल्य दुकानों से जुलाई 2024 का भी खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं।

# लाखों की चोरी के मामले में तीन भाई-बहन सहित पांच गिरफ्तार

**रायपुर | आरएनएस**

रायपुर पुलिस ने चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 3 भाई-बहन को गिरफ्तार किया है साथ ही चोरी का सामान खरीदने वाले दो लोगों को भी गिरफ्तार किया है। मामले में पुलिस ने आरोपियों के पास से लाखों रूपये के सोने व चांदी के जेवरात जब्त किया है।

मिली जानकारी के अनुसार सुंदरम विहार चंगोराभाठा डीडी नगर निवासी गरिमा शर्मा ने थाना डी.डी.नगर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह वह 19 जून को अपने घर में ताला लगाकर सपरिवार अपनी मायके आरंग गयी थी। और वह जब 25 जून को दोपहर में वापस घर लौटी तो देखा कि घर के मेन गेट का ताला टूटा हुआ था। अंदर जाकर देखे तो कमरे का ताला टूटा होने के साथ ही आलमारी का ताला भी टूटा हुआ था तथा आलमारी के लॉकर में रखा हुआ सोने-चांदी के जेवरात, एक मोबाईल फोन, एक पीतल का भगवान की मूर्ति का आसन एवं नगदी रकम नहीं था जिसे कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया था। जिस पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना डी.डी.नगर में धारा 457, 380 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। मामले में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना डीडी नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना स्थल का बारिकी से निरीक्षण कर घटना के संबंध में प्रार्थिया, उसके परिवार के लोगों सहित आसपास के लोगों से विस्तृत पूछताछ करते हुए अज्ञात आरोपी की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा घटना स्थल तथा उसके आस-पास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों का अवलोकन करते हुए प्रकरण में मुखबीर लगाने के साथ ही तरीका वारदात के आधार पर चोरी के प्रकरणों में हाल ही में जेल से रिहा हुए अपराधियों के संबंध में भी जानकारी एकत्र किया जा रहा था। तकनीकी साक्ष्यों का भी विश्लेषण कर अज्ञात आरोपी को चिन्हांकित करने के प्रयास किये जा रहे थे। इसी दौरान टीम के सदस्यों को मुखबीर से सूचना मिली कि विप्र नगर डी.डी.नगर निवासी सूरज सिंह उर्फ आशुतोष एवं सिद्धार्थ सिंग उफर् नैन्टू जो रिश्ते में सगे भाई है तथा दोनों पूर्व में भी चोरी सहित अन्य मामलों में कई बार जेल जा चुके है, को दिनांक घटना को घटना स्थल के पास संदिग्ध अवस्था में देखा गया था। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा दोनों की पतासाजी करते हुए सूरज सिंह उर्फ आशुतोष एवं सिद्धार्थ सिंग उफर् नैन्टू को पकड़ा गया। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर दोनों से कड़ाई से पूछताछ करने पर दोनों भाईयों द्वारा चोरी की उक्त घटना को अंजाम देना बताया गया। पुछताछ में आरोपियों ने चोरी की अन्य घटनाओं के संबंध में भी बताया। आरोपियों ने थाना डी.डी.नगर क्षेत्र में स्थित 7 अलग - अलग सूने मकानों का भी ताला तोडक़र चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था तथा चोरी की सोने एवं चांदी के जेवरातों को आरोपी सूरज सिंह उर्फ आशुतोष द्वारा उत्तर-प्रदेश के चंदौली जाकर जहां उसकी बहन अदिति सिंग उर्फ सिम्मी के साथ मिलकर चंदौली के सकलडीहा बाजार स्थित राजन आभूषण केंद्र एवं श्रीसाई आभूषण केंद्र के संचालक संजय कुमार जायसवाल एवं अरविन्द कुमार वर्मा के पास बिक्री कर अपनी बहन के साथ वापस रायपुर आना बताया। जिस पर आरोपी सूरज सिंह उर्फ आशुतोष, सिद्धार्थ सिंग उफर् नैन्टू एवं अदिति सिंग उर्फ सिम्मी को गिरफ्तार कर आरोपी सिद्धार्थ सिंग उफर् नैन्टू एवं अदिति सिंग उर्फ सिम्मी को दिनांक 2 अगस्त को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। आरोपी सूरज सिंह उर्फ आशुतोष का पुलिस रिमाण्ड लिया जाकर निशानदेही पर कब्जे से रायपुर, उसके गृह ग्राम रामरेपुर चंदौली तथा चंदौली स्थित ज्वेलरी दुकानों से चोरी की सोने के जेवरात करीबन 200 ग्राम, चांदी के जेवरात करीबन 2 किलोग्राम, नगदी रकम 55,500 रूपये, एक मोबाईल फोन तथा घटना में प्रयुक्त एक्टिवा दोपहिया वाहन कीमती लगभग 16,51,000 रूपये जप्त किया गया है। चोरी के सोने एवं चांदी के जेवरात क्रय करने पर आरोपी संजय कुमार जायसवाल एवं अरविन्द कुमार वर्मा निवासी जिला चन्दौली उत्तर-प्रदेश को धारा 411 भादवि. के तहत आरोपी बनाया गया है। आरोपियों के विरूद्ध थाना डी.डी. नगर में धारा 457, 380, 34, 411 भादवि. तथा धारा 305, 331(4), 3(5) बी.एन. एस. 411 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी दोनों भाईयों के विरूद्ध थाना डी.डी.नगर, कबीर नगर एवं आमानाका में चोरी, मारपीट एवं आबकारी एक्ट सहित अन्य मामलों के लगभग एक दर्जन अपराध पंजीबद्ध है जिनमें दोनों आरोपी पूर्व में जेल जा चुके है।

## कारखानों में तय मापदंडों का पालन नहीं, तेजी से बढ़ रहा प्रदूषण, हाईकोर्ट ने महाधिवक्ता से मांगा जवाब

**बिलासपुर | आरएनएस**

छत्तीसगढ़ में कारखानों की वजह प्रदूषण बढ़ रहा. इस पर प्रभावी रोक लगाने हाईकोर्ट में चार अलग-अलग जनहित याचिका लगाई गई है. हाईकोर्ट में पेश रिपोर्ट में राज्य शासन ने माना है कि प्रदेश में तकरीबन 60 ऐसे स्पंज आयरन और सीमेंट प्लांट हैं, जहां तय मानकों व मापदंडों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है और औद्योगिक प्रदूषण तेजी से फैल रहा है. इस मामले में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने महाधिवक्ता से जवाब मांगा है. जनहित याचिका की अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी.

हाईकोर्ट ने मामले में संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका के रूप में रजिस्टर्ड कराया है. सभी जनहित याचिकाओं पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच में सुनवाई चल रही है. इस मामले में हाईकोर्ट ने एडवोकेट प्रतीक शर्मा और पीआर पाटनकर समेत 11 अधिवक्ताओं को न्याय मित्र नियुक्त किया है और उनसे प्रदेश की इन औद्योगिक इकाइयों में प्रदूषण के कारण हो रही परेशानी के बारे में जानकारी मंगाई थी.

सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से महाधिवक्ता कार्यालय के विधि अधिकारियों ने कोर्ट को बताया कि राज्य में करीब ऐसे 60 स्पंज आयरन या सीमेंट प्लांट हैं , जहां प्रदूषण की शिकायतें आ रही है. मामले की गंभीरता को देखते हुए चीफ जस्टिस की डीविजन बेंच ने न्याय मित्रों को कोर्ट कमिश्नर बनाकर डाटा रिपोर्ट पेश करने कहा था. इसके बाद हुई सुनवाई में चीफ जस्टिस की डीविजन बेंच में सभी कोर्ट कमिश्नरों ने रिपोर्ट पेश कर दी थी.

मामले की सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने स्वीकार किया कि राज्य में कई जगह संचालित प्लांट्स में जरूरी प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है. प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए शासन की योजना बन चुकी है, इसे लागू कराने में कुछ समय लगेगा. चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने महाधिवक्ता को जवाब पेश करने कहा है।

## छत्तीसगढ़ में अब तक 732.7 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज

**रायपुर | आरएनएस**

राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बनाए गए राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष द्वारा संकलित जानकारी के मुताबिक एक जून 2024 से अब तक राज्य में 732.7 मिमी औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। राज्य के विभिन्न जिलों में 01 जून 2024 से आज 08 अगस्त सवेरे तक रिकार्ड की गई वर्षा के अनुसार बीजापुर जिले में सर्वाधिक 1655.3 मिमी और सरगुजा जिले में सबसे कम 345.5 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी है।

राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक जून से अब तक सूरजपुर जिले में 642.2 मिमी, बलरामपुर में 913.7 मिमी, जशपुर में 544.9 मिमी, कोरिया में 685.1 मिमी, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 676.3 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी।

इसी प्रकार, रायपुर जिले में 651.7 मिमी, बलौदाबाजार में 787.0 मिमी, गरियाबंद में 712.7 मिमी, महासमुंद में 543.8 मिमी, धमतरी में 700.4 मिमी, बिलासपुर में 687.7 मिमी, मुंगेली में 714.4 मिमी, रायगढ़ में 600.0 मिमी, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 408.4 मिमी, जांजगीर-चांपा में 706.0 मिमी, सक्ती 585.8 कोरबा में 868.6 मिमी, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 674.7 मिमी, दुर्ग में 481.3 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी। कबीरधाम जिले में 579.3 मिमी, राजनांदगांव में 790.2 मिमी, मोहला-मानपुर-अंबागढ़चौकी में 903.8 मिमी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 539.0 मिमी, बालोद में 829.5 मिमी, बेमेतरा में 432.0 मिमी, बस्तर में 823.5 मिमी, कोण्डागांव में 774.8 मिमी, कांकेर में 992.2 मिमी, नारायणपुर में 898.9 मिमी, दंतेवाड़ा में 970.0 मिमी और सुकमा जिले में 1061.8 मिमी औसत वर्षा एक जून से अब तक रिकार्ड की गई।

## कोतरा रोड पुलिस ने किरोड़ीमल स्कूल के बच्चों को यातायात, साइबर फ्रॉड और महिला सुरक्षा पर दी जानकारी

**रायगढ़**

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देशन पर आज थाना प्रभारी निरीक्षक त्रिनाथ त्रिपाठी किरोड़ीमल शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला में चलित थाना के तहत विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में थाना कोतरारोड़ के उप निरीक्षक जे. एक्का, सहायक उप निरीक्षक हेमसागर पटेल, कुसुम सिंह, प्रधान आरक्षक करूणेश राय ने छात्र-छात्राओं से उनकी समस्याओं के बारे में पूछा और उन्हें नवीन कानून और अपराधों के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों द्वारा छात्रों को यातायात नियम, साइबर सुरक्षा और बच्चों/महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों से संबंधित नए कानूनों के बारे में जानकारी दी गई तथा पुलिस सहायता के लिए डॉयल 112 व थाना प्रभारी कोतरारोड़, पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर की जानकारी दिया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को कानूनी जानकारी प्रदान करना और उन्हें उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना था। स्कूल के अध्यापकगण ने पुलिस का धन्यवाद करते हुए कहा कि इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रमों से बच्चों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ेगी।

## ट्रेलर की ठोकर से यात्री बस खाई में गिरी, 12 गंभीर

**कोरबा-रायपुर | आरएनएस**

जिले में भीषण सडक़ हादसा हुआ है. तारा घाटी के पास मोरगा चौकी क्षेत्र में यात्रियों से भरी बस और ट्रेलर वाहन के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई. इस हादसे के बाद दोनों वाहन 20 फीट गहरी खाई में जा गिरे. घटना के बाद मौके पर हडक़ंप मच गया और यात्रियों में चीख-पुकार मच गई. हादसे में करीब एक दर्जन से अधिक यात्रियों के घायल होने की खबर है. कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. वहीं बस में एक युवती फंसी हुई है, जिसका रेस्क्यू किया जा रहा है. जानकारी के अनुसार, तारा घाटी के पास 35 यात्रियों से भरी बस और ट्रेलर में भिड़ंत हो गई. टक्कर इतना जोरदार था की दोनों वाहन हादसे के बाद 20 फीट गहरी खाई में जा गिरे. हादसे के बाद खाई में गिरने से ट्रेलर वाहन बस के ऊपर आ गिरा, जिससे कई यात्री बस के अंदर फंस गए. घटना की सूचना मिलते ही मोरगा चौकी प्रभारी नवीन पटेल अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और यात्रियों को बाहर निकालने का काम शुरू किया. हादसे में 12 लोगो को चोंटे आई है, जबकि तीन गंभीर रूप से घायल हैं. घायलों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है. वहीं बस के अंदर एक युवती फंसी हुई है, जिसे बाहर निकालने के लिए गैस कटर और अन्य उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है. चौकी प्रभारी नवीन पटेल ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और युवती को सुरक्षित निकालने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

## कलेक्टर ने मेगा ऑयल पाम प्लांटेशन ड्राइव को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

**सारंगढ़ बिलाईगढ़**

कलेक्टर धर्मेश साहू ने कलेक्ट्रेट परिसर में मेगा ऑयल पाम प्लांटेशन ड्राइव को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जिले के किसानों, कृषि उप संचालक आशुतोष श्रीवास्तव और उद्यान के सहायक संचालक आर एस वर्मा तथा गोदरेज एग्रोवेट कंपनी लिमिटेड के राज्य प्रभारी भारत भूषण नंदा उपस्थित थे। इस अवसर पर 7 अगस्त को ग्राम तेंदुढार (सहसपानी) विकासखंड सारंगढ़ में उद्यानिकी विभाग द्वारा कृषक पुरुषोत्तम साहू के 7 एकड़ रकबे जमीन में ऑयल पाम का पौधारोपण कराया गया।

कलेक्टर धर्मेश साहू ने इस योजना और किसानों को होने वाले लाभ के बारे में अधिकारियो कंपनी के प्रभारी नंदा से जानकारी ली। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। नेशनल मिशन ऑन एडीबल ऑयल-ऑयल पाम योजना अंतर्गत 16 जुलाई 2024 से 12 अगस्त 2024 के मध्य मेगा ऑयल पाम प्लांटेशन ड्राइव आयोजन किया जा रहा है। कृषकों के लिए यह एक अच्छी योजना है। इस योजना के तहत कृषको को पहले वर्ष प्रति एकड़ 57 पौधे प्रदाय किये जाते है, दूसरे से चौथे वर्ष तक प्रति एकड़ रखरखाव हेतु 2100 रू. तथा अंतरवर्तीय फसलों हेतु 2100 रू. अनुदान के रूप में उद्यानिकी विभाग द्वारा प्रदाय किया जाता है। 10 एकड़ में फसल लगाने पर बोरवेल एवं टेक्टर के अनुदान का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के पौधे 9 x 9 मीटर की दूरी पर लगाये जाते है, जिसके बीच में कोई भी फसल लगाया जा सकता है। ऑयल पाम की खेती ड्रीप में की जाती है। ड्रीप हेतु भी अनुदान का प्रावधान है। ऑयल पाम लगाने के तीसरे साल के बाद निरंतर और निश्चित लाभ देने वाली फसल है। इसकी खेती से प्रति एकड़ प्रति वर्ष 10 टन तक उत्पादन प्राप्त होता है। उत्पादित फलों के गुच्छो को गोदरेज एग्रोवेट कंपनी लिमिटेड द्वारा खरीदा जाता है। जिसका मूल्य सरकार द्वारा सुनिश्चित किया गया है, जिसका वर्तमान मूल्य 14000 रू. प्रति टन है। विपरीत मौसम में भी यह फसल खराब नही होता है, रोग एवं कीटो का प्रकोप ना के बराबर होता है। इस फसल में चोरी की संभावना नहीं है।

## एक सुनहरे भविष्य की उम्मीद : दिव्यांग रूपेश को मिला 50 हज़ार रुपए का आर्थिक मदद

**रायपुर | आरएनएस**

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के जनदर्शन में आये दिव्यांग रूपेश कुमार साहू को शिक्षण,प्रशिक्षण और व्यवसाय के लिए 50 हज़ार रूपये की आर्थिक मदद देने की घोषणा की। इस घोषणा से रूपेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने कहा कि जीवन में आने वाले संघर्षो का वे हँसते हुए सामना करते हैं। भानसोज निवासी दिव्यांग रूपेश कुमार साहू जीवन की सभी कठिनाई का हँसते हुए सामना कर अपने दो भाइयों के साथ-साथ अपने परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। रूपेश ऑटोपार्ट्स दुकान का संचालन कर एक बेहतर कल का निर्माण कर रहे है। दिव्यांग रूपेश साहू एक भूमिहीन परिवार से है। पिता पुष्कर साहू मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। इससे उन्हें आर्थिक रूप से विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता था। वर्ष 2018 में पत्नी के मृत्यु होने पर 3 बच्चों के पालन पोषण में भारी दिक्कते खड़ी हो गई। बड़ा बेटा दिव्यांग होने के कारण उनके पालन की मुसीबतें बढ़ती गई। दिव्यांग रूपेश पढ़ाई में बेहतर था,उन्होंने बी. ए. की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। जीवन की इस कठिनाई में दिव्यांग रूपेश का हौसला कभी नहीं टूटा। अपनी दिव्यांगता को चुनौती मानकर उन्होंने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने का हर संभव प्रयास किया। वर्तमान में ग्राम कोसरंगी में अपने दो भाइयों के साथ ऑटो पार्ट्स दुकान का संचालन से रुपेश को हरे माह 15 से 20 हज़ार रुपए की आमदनी हो रही है। जनदर्शन कार्यक्रम में दिव्यांग रूपेश की दास्तान की सुनकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रूपेश को 50 हज़ार रुपए की आर्थिक मदद किया। मुख्यमंत्री साय के हाथों मिली आर्थिक मदद ने रूपेश के जीवन में एक नई उम्मीद की किरण जगाई है। अब वे अपने व्यवसाय को और भी बेहतर तरीके से कर सकेंगे और अपने साथ भाईयों के भविष्य को सुरक्षित कर सकेंगे।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

**Social Justice Union**

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

**अधिकार से न्याय तक**

**आवश्यकता**

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.वी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

**उद्देश्य एवं नियुक्तियां**

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

**मुख्य बिन्दु**

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

**पीड़ित संपर्क करें**

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

**अन्य बिन्दु**

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवे पर्यावारण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU